भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में एसोसिएट प्रोफेसर, मनश्चिकित्सा सामाजिक कार्य के पद के लिए प्रारुप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं.एबी.14017/61/2008-स्था. (आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में एसोसिएट प्रोफेसर, मनश्चिकित्सा सामाजिक कार्य के पद के लिए प्रारुप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारुप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारुप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को या ई-मेल पते: ajaya59@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(अजय कुमार केपी)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23061342

नई दिल्ली
दिनांक: 05.04.2018

अनुलग्नक

क्र.सं.	अनुसूची के अनुसार	प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	परिवर्तन के कारण
1.	पद का नाम	एसोसिएट प्रोफेसर, मनश्चिकित्सा सामाजिक कार्य	यह पद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 3.3.2014 के पत्र सं. ए 11013/1/2008-पीएच-I के माध्यम से सृजित नया पद है।
2.	पदों की सं.	1* (2017) (कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	एक पद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 3.3.2014 के पत्र सं. ए 11013/1/2008-पीएच-I के माध्यम से सृजित किया गया था।
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	यह पद लेवल 11 में है और इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार समूह क में वर्गीकृत किया गया है।
4.	मैट्रिक्स में वेतन	लेवल 11 (रू. 67700-208700/-)	रुपये 6600 के ग्रेड वेतन में सृजित इस पद को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग वेतन मेट्रिक्स के अनुसार लेवल 11 में प्रतिस्थापित किया गया है।
5.	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	चयन	पद को चयन आधार पर प्रोन्नति पर भरा जाना है।
6.	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	40 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार 5 वर्षों तक शिथिलनीय) टिप्पणी: सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा के निर्धारण की तारीख वह होगी जो भारत के आवेदकों से आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख है (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू –कश्मीर राज्य के लद्दाख	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.03.2015 के का.ज्ञा. सं. ए-14017/13/2013- स्था. (आरआर) के दिशानिर्देशों के अनुसार लेवल 11 के पद के लिए आयु सीमा 40 वर्ष है।

		प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-प्रभाग तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख)	
7.	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता	अनिवार्य: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य/सामाजिक विज्ञान में मास्टर डिग्री या समकक्ष। (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से मनश्चिकित्सा सामाजिक कार्य में एम फिल. या डिप्लोमा (2 वर्षीय पाठ्यक्रम) या समकक्ष (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मनश्चिकित्सा सामाजिक कार्य में डॉक्टरेट डिग्री (पीएचडी) या समकक्ष (iv) किसी मान्यताप्राप्त संस्था में पांच वर्ष का अध्यापन/अनुसंधान अनुभव (कम से कम 2 वर्ष का अनुभव मनश्चिकित्सा सामाजिक कार्य के सहायक प्रोफेसर के रूप में होने सहित) वांछनीय : (i) मानव विज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान,सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकी में	शैक्षिक अर्हता सीआईपी, रांची द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार होगी।

		डिग्री या डिप्लोमा। (ii) साइकोथेरेपी और परामर्श तकनीकों में अनुभव । टिप्पणी1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में अर्हता लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय है। 2. यदि संघ लोक सेवा आयेाग की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन वर्गो के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी अर्हता रिकार्ड में दर्ज किए जानेवाले कारणों से संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय है।	
8	क्या सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	(i) आयु: नहीं (ii) शैक्षिक अर्हता – हां	इस पद को प्रोन्नति आधार पर भरा जाना है। प्रोन्नत व्यक्ति शैक्षिक अर्हता धारी हों।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	1 वर्ष	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष होगी।
10.	भर्ती की पद्धति: क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धत्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा।	

11.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	सहायक प्रोफेसर, मनश्चिकित्सा सामाजिक कार्य, जो वेतन मेट्रिक्स के लेवल 10 के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।	
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/स्थायीकरण के लिए) में निम्नलिखित शामिल हैं: 1.अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष, 2.उप महानिदेशक, स्वा. सेवा महानिदेशालय - सदस्य, 3. निदेशक (एमई), स्वा. सेवा महानिदेशालय - सदस्य	प्रोन्नति एवं स्थायीकरण के लिए डीपीसी एवं डीसीसी होना अनिवार्य है।
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श करना आवश्यक है।	समूह 'क' पद के लिए प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श करना आवश्यक है।